

खनाम

न्यायालय का नाम - उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से
	13.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। 'अविनयता' वाली उपाश्रित। प्रतिनादीगठ की तस्वीर परिल Reg. No. बनवाने के लिए आग्रहीता को अनुरोध किया गया। प्रतिनादीगठ की तस्वीर परिल Reg. No. जारी होकर पत्रावली दिनांक 13/12/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
	16.12.24	<p>पत्रावली पेश हुई। 'अविनयता' वाली उपाश्रित। पूर्विका की पालना से पत्रावली दिनांक 15/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>
	15.1.25	<p>पत्रावली पेश हुई। 'नादीगठ' एवं उसके 'अविनयता' अनुपस्थित। 'नादीगठ' को राज-आशासत्र के अधिकार-पृथक समग्र पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। नावपूर आवाज लगवाने के उपरांत भी 'नादीगठ' के आशासत्र से हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत 'आशा-9' नियम-3, 4, 5 के तहत अदम हाजरी व अदम वेरनी को खारिज की जाती है। पत्रावली फॉर्मल सुगार होकर नाक से काम होकर दायित्व दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>